



- वर्ष 1900 में बरिसा मुंडा की हैजा से मृत्यु हो गई, जिससे वदिरोह का सक्रिय चरण समाप्त हो गया।
- परणाम और वरिसत:
  - वर्ष 1908 में छोटानागपुर **काश्तकारी अधिनियम** पारित किया गया:
  - आदवासियों से गैर-आदवासियों को भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया।
  - **खुंटकट्टी अधिकारों** को मान्यता दी गई।
  - **बेत बेगारी** (जबरन श्रम) पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- बरिसा मुंडा को सम्मानित करते हुए:
  - वर्ष 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय **गौरव दिवस** (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) के रूप में मनाया जाता है।
  - उन्हें एक **साहसी नेता, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दूरदर्शी** के रूप में याद किया जाता है।
  - कम आयु में नधिन के बावजूद उन्होंने **महान रणनीति, साहस और नेतृत्व का परिचय दिया**।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/birsa-munda-5>

